

मा० अध्यक्ष महोदय,

सम्मानित सदन के समुख, मैं आपकी अनुमति से राज्य स्थापना के बाद का 10वाँ बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि राज्य स्थापना का प्रथम बजट प्रस्तुत करने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त हुआ था।

मैंने जब वर्ष 2001–02 में पहला बजट प्रस्तुत किया था, उससे पूर्व राज्य की आर्थिक विकास दर 2.9 प्रतिशत थी, आज 11.30 प्रतिशत होकर हम देश के शीर्ष विकासशील राज्यों में शुमार हो गये हैं। यही नहीं, हिमालयी राज्यों में भी हमने अपना प्रमुख स्थान बनाया है। यह हमारी निश्चित बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर से भी आगे निकल गयी है।

इस दौरान प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग ` 15 हजार से बढ़कर ` 56,794 हो गयी है। यह भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2000–2001 में ` 2,733 करोड़ थी, वह अब वर्ष 2011–12 में लगभग

‘ 14,635 करोड़ अनुमानित है। उस समय उत्तराखण्ड में औद्योगिक निवेश जहाँ मात्र 5 हजार 500 करोड़ था, वह आज 30 हजार करोड़ से अधिक पहुँच गया है।

अतः मैं दावे से कहता हूँ कि इन दस वर्षों में राज्य ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, राज्य की 10 वर्षीय शानदार उपलब्धियों एवं भविष्य की कामनाओं के मध्य गुजरते अनायास ही अपनी एक कविता मेरे मन—मस्तिष्क में बाहर आने को आतुर होती है,

दैदीप्य धरा का कोना—कोना
जीवन पुष्प खिलायेगा,
धरती का कण—कण जीवन दे
अमृत रस बरसायेगा,
तोड़ कुहासों की कारा को, जीवन दीप जलायेगा।
मेरा स्वर्णिम स्वर्ज दिवस तो, सूर्य धरा पर लायेगा।

महोदय, अंधेरे को मिटाने के लिए विकास और विचार के सूर्य को धरा पर लाने के संकल्प में हमने एक ओर विश्व के सबसे बड़े आयोजन कुम्भ—2010 का सफल

आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के लगभग साड़े आठ करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया, वहीं दक्षिण एशिया के प्रथम शीतकालीन खेलों को भी हमने उत्तराखण्ड की धरती पर सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है, जो पूरे दक्षिण एशिया में पहली बार हुआ है। देश का यह पहला राज्य है जिसने सभी भाषाओं की जननी देववाणी संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा का सम्मान प्रदान किया है। हमारा राज्य पानी और जवानी का धनी है। मुझे खुशी है कि हम इसका बेहतर समन्वय करने में कामयाब हुए हैं। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में सम्पूर्ण पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य को देश में प्रथम स्थान का गौरव प्राप्त हुआ है। उत्तराखण्ड शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ हम स्कूली शिक्षा के लिए विद्यात थे, अब राज्य में लगभग 14 विश्वविद्यालय स्थापित होकर, हम उच्च शिक्षा में भी तेजी से आगे बढ़े हैं।

इस दिशा में हमने स्नातक तक शिक्षा को निःशुल्क किया है, तो मात्र १५ हजार वार्षिक फीस पर हम एम०बी०बी०एस० की डिग्री भी प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य के शीर्ष मेरिट प्राप्त निर्धन छात्र/छात्राओं को इंजीनियरिंग भी निःशुल्क करायी जायेगी। यह देश में पहली बार होगा।

ग्राम सुराज की ओर अग्रसर होते हुए हमने न्याय पंचायत स्तर पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल मिनी सचिवालय की स्थापना की है। 'अटल आदर्श ग्राम योजना' सुराज की इसी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर है। पतित पावनी गंगा की स्वच्छता को समर्पित 'स्पर्श गंगा अभियान' हमारी सरकार की एक अभिनव योजना है, जिससे लाखों युवकों का जुड़ाव हुआ है। जीवनदायिनी 108 सेवा ने हजारों लोगों की जिन्दगी बचाकर विश्व स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तराखण्ड में 108 सेवा अब एक दौड़ती गाड़ी नहीं है, वरन् वह उत्तराखण्ड की जीवनदायिनी बन गयी है।

हमने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 1 हजार 700 औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में आयी हैं और लगभग 200 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है। साथ ही 6 हजार स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष तथा कई अन्य को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। यह राज्य फार्मा उद्योग का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है, जबकि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में यह देश का ही नहीं, अपितु दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। बड़े उद्योग समूह की सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के तहत हमने सुदूरवर्ती पिछड़े इलाकों के निर्धन मेधावी बच्चों को 'आशीर्वाद योजना' से जोड़ा है, जिसमें अत्यन्त निर्धन छात्र-छात्राएं जो हाईस्कूल, इण्टर के बाद आगे पढ़ नहीं पाते, उन्हें चयन कर राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग भी निःशुल्क करायी जा रही है। इस योजना में अभी तक 3 हजार बच्चे चयनित हो चुके हैं।

शीतकालीन पर्यटन से हमारे चारों धाम यथा—
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री के शीतकालीन

प्रवास स्थान क्रमशः जोशीमठ, ऊखीमठ, मुखवा एवं
खरसाली तथा टिहरी झील को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन
मानचित्र पर उभारने के हमारे प्रयास आरम्भ हुए हैं।
अपने सम्पूर्ण चिन्तन को आम आदमी के हितों से जोड़ते
हुए इस भारी महंगाई से निजात दिलाने के लिए 'अटल
खाद्यान्न योजना' को लागू करके मेरी सरकार ने यह
संकल्प लिया है कि इस देवभूमि में कोई व्यक्ति भूखे पेट
न सोये।

महोदय, सरकार ने इन चार सालों में जनता से जो
भी वायदे किए उनको पूर्णता तक पहुँचाने के लिए एक
ईमानदार कोशिश के साथ हम आगे बढ़े हैं। राज्य स्तर
पर इन चार सालों में 965 घोषणाओं में से 815 घोषणाएं
(85 प्रतिशत) पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष पूर्णता की ओर
गतिमान हैं।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराने में हर्ष
हो रहा है कि राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के

वाबजूद हमने छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर कार्मिकों के एरियर सहित बढ़े हुए वेतन का भुगतान यथासमय किया है। कुशल वित्तीय प्रबन्धन से हमने जहाँ आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में इंगित लक्ष्यों को भी हासिल किया है।

वार्षिक योजना :

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, तथापि वर्ष 2011–12 हेतु आयोजनागत पक्ष में ' 6564.29 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्ष 2010–11 के मूल आय–व्ययक अनुमान से ' 1446.91 करोड़ एवं पुनरीक्षित अनुमान से ' 882.65 करोड़ अधिक है। यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2011–12 का आय–व्ययक विजन–2020 को दृष्टि में रखकर तैयार

किया गया है, ताकि उत्तराखण्ड 2020 तक देश का आदर्श राज्य बन सके।

मान्यवर,

इस बजट में वर्ष 2010–11 के मूल एवं पुनरीक्षित बजट के सापेक्ष क्रमशः लगभग 25.34 एवं 14.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, साथ ही जनहित की नई एवं विशिष्ट योजनाओं को भी समिलित किया गया है।

यहाँ में यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि, यह सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए सदैव संवेदनशील है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तराखण्ड नवोदित राज्य होते हुए भी देश का दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए छठा वेतन आयोग लागू किया है। इस तरह लगभग ` 2500 करोड़ के अतिरिक्त व्ययभार की व्यवस्था सरकार द्वारा कुशलतापूर्वक की गयी, जो ऐतिहासिक है।

जहाँ वर्ष 2007–08 में वेतन एवं पेंशन मद में मात्र ` 3095.20 करोड़, वर्ष 2008–09 में ` 4178.16 करोड़,

वर्ष 2009–10 में ' 6115.86 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 में ' 6419.49 करोड़ का व्यय हुआ, वहीं वर्ष 2011–12 में इन मदों में ' 7085.20 का व्यय अनुमानित है।

मान्यवर, इस अवसर पर मैं कुछ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा:—

- आगामी वर्ष में कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा।
- ' 50 लाख तक बिक्री वाले गैर वातानुकूलित रेस्टोरेन्ट्स को रोड साइड के ढाबों की भाँति 13.5 प्रतिशत वैट के बजाय मात्र 4 प्रतिशत ही लिया जायेगा।
- 01–01–2005 से 27–04–2010 तक टैक्स्टाइल वेस्ट का व्यापार करने वाले करदाताओं की 8.5 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता को कतिपय शर्तों के अधीन माफ किया जायेगा।
- कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हस्त-निर्मित कपड़ा धोने के साबुन को वैट से पूर्णतया कर मुक्त किया जायेगा।

- सिनेमा के टिकटों पर वर्तमान करदर को 25 से 50 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।
- विकलांग-जनों को विशेष राहत देते हुए अचल सम्पत्ति के क्रय पर ५ लाख तक मूल्य की सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- स्टाम्प ड्यूटी के अपवंचन को रोकने एवं जन सामान्य को सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से राज्य के चार जनपदों यथा—हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर तथा नैनीताल में ई—स्टाम्पिंग की सुविधा आरम्भ की जायेगी।
- विद्यालयी शिक्षा जैसे बड़े विभाग के प्रभावी समन्वयन के लिए महानिदेशक कार्यालय की स्थापना की जाएगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पर समुचित ध्यान केन्द्रित करने हेतु बेसिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय गठन किया जायेगा।

- राज्य के पिछड़े विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जायेंगे।
- उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। अतः सभी भाषाओं की जननी कही जाने वाली संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कर निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद् तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद की इंटर परीक्षा में 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप दिया जायेगा।
- राज्य स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को एडुसैट की सुविधा से जोड़ा जायेगा।
- राज्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की इस भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु

राज्य में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी।

- करस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।
- पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दृष्टि से विकास खण्ड स्तर पर आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
- राजकीय हाईस्कूल तथा इंटर कॉलेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
- विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जायेगा।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं की खेलों में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में समुचित व्यवस्था की जायेगी।

- राज्य के छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी।
- रोगियों के परिजनों के ठहरने हेतु दिल्ली में की गई व्यवस्था की भाँति राज्य के शीर्ष चिकित्सालयों के निकट रैनबसरों की व्यवस्था की जायेगी।
- जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तहसील एवं जिला मुख्यालयों में गुणवत्ता जाँच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जायेंगी।
- राज्य के दूरस्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों को सोलर लालटेन उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही अटल आदर्श ग्रामों में पथ प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी जायेंगी।
- राज्य में 'हिमालयन संस्कृति केन्द्र' तथा 'हिमालयन संग्रहालय' की स्थापना की जायेगी। साथ ही

भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्पराओं एवं धरोहरों को प्रदर्शित करने के लिए 'भारत दर्शन केन्द्र' की स्थापना की जायेगी।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, ताकि आम जनता को अच्छी चिकित्सकीय सुविधायें सुलभ हो सके।
- आयुर्वेद की जन्मस्थली उत्तराखण्ड राज्य में 'अन्तर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान' की स्थापना की जाएगी तथा आयुष महानिदेशालय स्थापित किया जायेगा।
- देहरादून में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है। नर्सिंग शिक्षा का विस्तार करने हेतु जनपद टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। अतः चिकित्सा शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देने हेतु चिकित्सा महानिदेशालय के अन्तर्गत

पृथक चिकित्सा शिक्षा इकाई का गठन किया जायेगा।

- राज्य में रक्त संचरण सम्बन्धी कार्यकलापों को गति देने के लिए राज्य रक्त संचरण परिषद् का गठन किया जायेगा।
- पं० दीन दयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा की अपार लोकप्रियता, उपादेयता, सफलता तथा इसके द्वारा स्थापित कीर्तिमान के दृष्टिगत इसका विस्तार किया जायेगा।
- राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशीलता को देखते हुए दुर्गम क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों में हवाई एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा रहा है।
- आयुर्वेद को सशक्त करने की दृष्टि से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण किया जायेगा।

- विगत 50 वर्षों से चिर-प्रतीक्षित देहरादून स्थित चक्रता रोड को चौड़ा किया जायेगा तथा शहर की प्रमुख सड़कों एवं चौराहों का भी चौड़ीकरण किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न सोये, यह सुनिश्चित करने हेतु 'अटल आदर्श खाद्यान्न योजना' आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत उन्हें सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की सुविधा सुनिश्चित करने की दृष्टि से खाद्यान्न भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जा रही है।
- खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जायेगा।
- जनता को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड परिवहन निगम को नई बसें क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

- राजकीय सेवा में रोजगार के लिए पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण में क्रीमीलेयर की सीमा को बढ़ाया गया है।
- राजकीय सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ—साथ पारिवारिक दायित्वों के सफल सम्पादन हेतु महिला कार्मिकों को बच्चों की देख—रेख के लिए सेवाकाल में दो वर्ष के सवेतन अवकाश की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- मृतक राजकीय कर्मचारियों की अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन लाभ दिया जायेगा।
- प्रशासनिक सुदृढ़ता तथा विकास को गति देने के लिए अटल आदर्श गाँवों में 'अटल मिनी सचिवालय' की स्थापना की जा रही है।
- कृषि एवं औद्यानिकी उपज बढ़ाने के लिए 'भरसार में औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय' की स्थापना की जाएगी। निजी नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहयोग दिया जायेगा।

- फार्स्फोटिक उर्वरक क्रय करने हेतु रिवाल्विंग फण्ड

की स्थापना की जायेगी।

मान्यवर, अब विभागवार बजट प्रस्तावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत हैः—

राजकोषीय सेवाएः—

- सीमित संसाधनों के बावजूद, न केवल नया कर नहीं लगाया जा रहा है, वरन् कतिपय मामलों में छूट भी दी जा रही है। इसके बावजूद राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।
- प्रदेश में ई. चालान की व्यवस्था सहित साइबर ट्रेजरी की स्थापना की जायेगी।
- राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण तथा मनोरंजन कर, आबकारी एवं परिवहन प्रमुख हैं। इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में इन क्षेत्रों में कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा। यह आम जनता को बड़ी

राहत देने की दृष्टि से हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

1— वाणिज्य कर :

- सरकार ने वाणिज्य कर संग्रह में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान में सभी पंजीकृत रेस्तरांओं पर 13.5 प्रतिशत कर देयता है। ` 50 लाख से कम वार्षिक बिक्री वाले गैर वातानुकूलित छोटे रेस्तारांओं के लिए अब 13.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत ही कर देयता होगी।
- टैक्सटाइल वेर्स्ट का व्यापार करने वाले करदाताओं की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए इस ट्रेड के ऐसे करदाता जिन्होंने 04 प्रतिशत की दर से ही कर वसूल किया है, पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से 27 अप्रैल, 2010 की अवधि से सम्बंधित 8.5 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता को कतिपय शर्तों के अधीन माफ किया जायेगा।

- छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हस्तनिर्मित कपड़ा धोने वाले साबुन को 'वैट' से पूर्णतया करमुक्त किया जायेगा।
वाणिज्य कर विभाग राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। करों में वृद्धि न करने तथा कई वस्तुओं में छूट दिये जाने के बावजूद वर्ष 2011–12 में 3187.60 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है, जबकि व्यय पक्ष में 83.61 करोड़ का अनुमान है।

2— स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण प्रमुख स्रोत है। विकलांग—जनों को राहत देने की दृष्टि से अचल सम्पत्ति की खरीद फरोख्त पर 5 लाख मूल्य तक की सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने एवं जन सामान्य को सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से राज्य में

ई-स्टाम्पिंग की सुविधा प्रथम चरण में चार जनपदों में आरम्भ की जाएगी।

- वर्ष 2011–12 में उक्त छूटों के बावजूद इस मद में
- ‘ 483.85 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है जबकि व्यय पक्ष में
 - ‘ 24.08 करोड़ का अनुमान है।

3— आबकारी :

- मूल्य वर्धित कर के साथ ही आबकारी राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में है। प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का एक बड़ा भाग उद्योगों के माध्यम से जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। मदिरा, भांग आदि मादक पदार्थों के प्रयोग पर पर्याप्त विनियमन एवं नियंत्रण सहित प्रवर्तन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- सरकार ने मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने एवं नए उद्यमियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश पाने के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु लाटरी के माध्यम से फुटकर

दुकानों की व्यवस्थापन का आबकारी नीति में प्राविधान किया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में गत वर्ष 2010–11 के सापेक्ष आबकारी विभाग में 40.74 करोड़ वृद्धि सहित राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 727.67 करोड़ निर्धारित किया गया है, जबकि व्यय पक्ष हेतु 9.90 करोड़ का प्राविधान है।

4— मनोरंजन कर :

- जनसामान्य को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से मनोरंजन कर में भारी छूट दी जा रही है, जिसके अन्तर्गत सिनेमा की कर दरों में 25 से 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

5— परिवहन :

- राज्य में सड़क मार्ग ही परिवहन का प्रमुख माध्यम है। सरकार परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु प्रयत्नशील है। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य के अन्दर बहनों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्गों पर

सुरक्षित यात्रा हेतु देहरादून में 'चालक प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित हो चुका है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। सरकार हल्द्वानी में भी शीघ्र 'चालक प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार एक तरफ परिवहन हेतु अवरथापना सुविधाएं विकसित कर रही है वहीं विभिन्न सुधार कार्यक्रमों एवं विनियमन तथा प्रवर्तन के माध्यम से जनता को उचित परिवहन सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयासरत है। कम्प्यूटरीकृत पंजीयन, परमिट, फिटनेस तथा चालक लाईसेन्स निर्गत करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं।

- मुजफ्फरनगर—रुड़की रेल लाइन हेतु राज्य सरकार 50 प्रतिशत वित्त पोषण कर रही है, जिस पर अब तक ८० करोड़ का भुगतान रेलवे को किया जा चुका है तथा वर्ष 2011–12 में भी ४० करोड़ का प्राविधान रखा गया है। सड़क यात्राओं को सुरक्षित किये जाने हेतु आटोमेटेड टेस्टिंग लेन तथा

सिमुलेटरों की स्थापना की जायेगी। हल्द्वानी में अन्तर्राज्यीय बस अड़डे की स्थापना की जाएगी। सितारगंज, गदरपुर, हरबर्टपुर, बागेश्वर, किछ्छा आदि में बस अड़डों का निर्माण तथा श्रीनगर, रामनगर, काशीपुर रुद्रपुर, टनकपुर, खटीमा, लोहाघाट, अल्मोड़ा, काठगोदाम एवं रुड़की में लोक-निजी-सहभागिता (पी०पी०पी०) से बस टर्मिनल विकसित किये जाएंगे। राज्य के दो बड़े शहरों, देहरादून एवं हल्द्वानी में नगर यातायात को जनता के लिए सुलभ एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से मोबिलिटी प्लान तैयार किया जायेगा।

वर्ष 2011–12 में परिवहन सम्बन्धी क्रियाकलापों हेतु 160.25 करोड़ का प्राविधान है।

6— नागरिक उड़ायन :

- राज्य में त्वरित आवागमन एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विमानन सेवाओं का विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। जौलीग्रान्ट हवाई

अड्डे से दिल्ली-देहरादून-दिल्ली उड़ानें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरूप यहाँ से भी नियमित उड़ानें की जानी प्रस्तावित हैं। 'हैली टूरिज्म' को गति देने के लिए देहरादून में सहस्रधारा बाईपास रोड पर सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त हैंगर एवं हैलीपैड बनाया गया है। जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैंगर का निर्माण कराया जाएगा। नैनीसैनी (पिथौरागढ़) हवाई पट्टी अभी 20 सीटर विमानों के योग्य है। इस हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया जा रहा है। गौचर तथा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को हैलीकॉप्टर सर्विस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

नागरिक उड़ान्यन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2011-12 में ' 15.17 करोड़ का प्राविधान है।

7- ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

- राज्य ऊर्जा प्रदेश के रूप में उभर रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनता को मांग के अनुरूप

वहन—योग्य दरों में बिजली उपलब्ध करायी जाय। राज्य सरकार ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए भी ध्यान केन्द्रित किया है। इसमें निजी क्षेत्र तथा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विद्युत गृह लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बंध में नीति प्रख्यापित की जा चुकी है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि एवं मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता के साथ—साथ पारेषण एवं वितरण तन्त्र के सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं उच्चीकरण सहित वितरण में सुधार किया जा रहा है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति, बिजली चोरी पर नियंत्रण, विद्युत हानि को न्यूनतम मान्य—स्तर पर लाने तथा विद्युत की शत—प्रतिशत मीटरिंग हेतु सरकार संकल्परत है। राज्य में ऊर्जा संरक्षण सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के समुचित उपयोग हेतु भी सरकार प्रयासरत है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा अन्य उपयोगों हेतु वैकल्पिक ऊर्जा आधारित योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है।

- वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से ग्राम सभा स्तर पर एक किलोवाट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ का निवेश किया जायेगा। राज्य में दूरस्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गाँव के एक लाख परिवारों को अनुदान पर सोलर लालटेन दी जायेगी।
- प्रदेश के सभी 670 अटल आदर्श गाँवों में पथ प्रकाश हेतु 13 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेंगी। जन सहभागिता से 100 किलोवाट क्षमता तक की 300 परियोजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों तथा समितियों के माध्यम से कराया जायेगा। वर्ष 2011–12 में ऊर्जा के क्षेत्र में 519.82 करोड़ तथा वैकल्पिक ऊर्जा हेतु 6.74 करोड़ का प्राविधान है।

8— सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

- विजन 2020 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की बेहतर तकनीकि के साथ अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित करने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए

प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, भू-जल संरक्षण एवं नियोजित दोहन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बाढ़—सुरक्षा एवं नदियों से भूमि—कटाव रोकने के कारगर उपाय किये जा रहे हैं।

- पानी की कम उपलब्धता की स्थिति में सिंचाई हेतु ड्रिप/माइक्रोस्प्रिंकलर योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
- सिंचाई योजनाओं को बहुउद्देशीय बनाते हुए इनको बिजली, मत्स्य पालन, पेयजल व पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। जमरानी बांध तथा सौंग बांध परियोजना पर कार्य युद्धस्तर पर किया जायेगा, ताकि राज्य को शीघ्र इसका लाभ मिल सके।
- राज्य में सिंचाई विभाग के विश्राम गृहों को हम पर्यटकों के उपयोगार्थ भी तैयार कर रहे हैं। वर्ष 2011–12 में सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा हेतु लगभग 571.48 करोड़ तथा लघु सिंचाई कार्यों हेतु 267.15 करोड़ का प्राविधान है।

9— पेयजल :

- प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए बी0पी0एल0 परिवारों के लिए पर्वतीय क्षेत्र हेतु राज्यांश में 、 800 तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 、 500 की अतिरिक्त वृद्धि की गई है।
- पेयजल गुणवत्ता की जाँच हेतु जिला एवं तहसील मुख्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी।
- जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना तथा एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक से वित्त पोषित योजना द्वारा भी नगरीय क्षेत्रों में पेयजल तथा जलोत्सारण सम्बन्धी अवस्थापना कार्य किये जा रहे हैं। वर्ष 2011–12 में पेयजल, जलोत्सारण तथा स्वच्छता कार्यों हेतु कुल 、 521.97 करोड़ का प्राविधान है।

10—सड़क तथा सेतु :

- हर गांव तक सड़क राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल सड़कों की लम्बाई 10 हजार कि0मी0 थी, जो अब बढ़कर लगभग 32 हजार कि0मी0 हो गई है। इसी प्रकार राज्य गठन के समय सेतुओं की संख्या 625 थी, वह बढ़कर आज 1465 हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 526 कि0मी0 से बढ़कर 2100 कि0मी0 हो गई है। हम अधिक से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ने में सफल रहे हैं। राज्य सृजन के समय 9155 ग्राम मोटर मार्ग से जुड़े थे, आज 11 हजार के करीब गांव मोटर मार्ग से जोड़े जा चुके हैं। विजन 2020 के अन्तर्गत हम राज्य के सभी गांवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने को कठिबद्ध हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 'अटल आदर्श' ग्राम के अन्तर्गत चिह्नित 670 अटल आदर्श ग्रामों में से 584 को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। शेष अटल आदर्श गाँवों को भी आगामी वर्ष में सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा।

- देहरादून के प्रवेश द्वारों पर यातायात को सुगम बनाने हेतु मोहकमपुर में रेलवे क्रासिंग पर लगभग 80 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज तथा डाटकाली मन्दिर के समीप लगभग 38 करोड़ की लागत से एक अतिरिक्त सुरंग बनाई जायेगी।
- एशियाई विकास बैंक के सहयोग से फेज-3 के अन्तर्गत 1700 किलोमीटर सड़कों का सुधार कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिस पर लगभग 1500 करोड़ का व्यय होगा।
- राज्य सेक्टर तथा जिला सेक्टर के अन्तर्गत लगभग 584 करोड़ व्यय किया जायेगा।
- राजकीय राजमार्गों पर भी कार्य किया जायेगा।
- भविष्य में 14 रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने की योजना है।
लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में 1139.40 करोड़ का प्राविधान है जो कुल अनुमानित व्यय का 5.88 प्रतिशत है।

11— औद्योगिक विकास :

- राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसी का परिणाम है कि आज निवेश के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं उभरते हुए राज्य के रूप में पहचान मिली है।
- मैं सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि राज्य गठन के समय जहां 5 हजार 500 करोड़ ही औद्योगिक निवेश था वह आज 30 हजार करोड़ से अधिक पहुंच गया है तथा इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा समय से पूर्व औद्योगिक पैकेज वापस लिये जाने के बावजूद यह प्रगति प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को उद्घाटित करती है।
- प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु 'हिमाद्रि' ब्रांड को लोकप्रिय किया जा रहा है। स्थानीय शिल्पों

के प्रतीक चिन्हों को देश एवं दुनिया में पहचान दिलायी जायेगी।

- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना का सफल संचालन किया जा रहा है। विजन 2020 के अन्तर्गत हमने राज्य में उत्पादित स्थानीय उत्पादों को लाभकारी उद्यमों से जोड़ते हुए उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाई है। यही नहीं हम पर्यावरण सम्मत उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं।
- वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत राज्य में लगभग 2500 औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में आयी हैं, जिनमें 26 हजार 500 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है।
- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कुल 1 हजार 750 औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में आयी हैं,

जिनमें लगभग 200 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 6 हजार स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष तथा कई हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है।

- उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष में 'मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना' के अन्तर्गत 2000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी 13 जिलों में 15 क्लस्टर विकसित किए जायेंगे। वर्ष 2011–12 में उद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु ' 54.06 करोड़ का प्राविधान है।

12— शहरी विकास एवं आवास :

- उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 26 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवास कर रही है। राज्य निर्माण के बाद प्रमुख शहरों की आबादी बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। अतः वर्तमान में बड़े शहरों पर दबाव को कम करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित छोटे नगरों का सुदृढ़ीकरण एवं विकास तथा बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में

नगरीय सुविधाओं के विस्तार की ओर हम बढ़ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के सौन्दर्यकरण एवं स्वच्छीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में सुव्यवस्थित कूड़ा निस्तारण व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है।

- जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत 734 करोड़ के कार्य शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। विजन 2020 के अन्तर्गत राज्य के शहरों को मलिन बस्ती विहीन बनाने, सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के साथ—साथ उनके सौन्दर्यकरण और देहरादून को 'ग्रीन सिटी' के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अलावा नगरों में आधारभूत नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ—साथ शहरी निर्धन परिवारों को सस्ते एवं आसान किश्तों पर आवासीय भवन उपलब्ध कराये जाएंगे। मलिन बस्तियों के 20 हजार से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए

डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में पार्किंग सुविधा विकसित करने हेतु पं० दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग योजना प्रारम्भ की गई है।

- विगत 50 वर्षों से चिर-प्रतीक्षित देहरादून स्थित चक्रराता रोड को चौड़ा किया जायेगा तथा शहर की प्रमुख सड़कों एवं चौराहों का भी चौड़ीकरण किया जायेगा।

वर्ष 2011–12 में शहरी विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यों के लिए ३१०.०६ करोड़ की व्यवस्था है।

13— समाज कल्याण :

- सरकार देश के संविधान की आत्मा के अनुरूप अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, निराश्रित एवं निःशक्तजनों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है। इन सभी वर्गों के उत्थान के लिए सरकार शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि, पेंशन, अनुदान

के माध्यम से बहु-आयामी सुविधायें उपलब्ध करा रही है। इन वर्गों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से कोचिंग दी जा रही है। गरीब आवासहीन परिवारों के लिए 'अटल आवास निर्माण योजना' संचालित है। देहरादून में 'एकलव्य आदर्श आवासीय' विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

- गौरा देवी कन्या धन योजनान्तर्गत इस वर्ष जहाँ 12 हजार 181 छात्राओं को लाभान्वित करते हुए 20 करोड़ 42 लाख रुपए प्रदान किए गए, वहीं आगामी वर्ष में 14 हजार 400 छात्राओं के लिए 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जहाँ सरकार निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों हेतु अनुदान दे रही है वहीं वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु आश्रम तथा भिक्षुक गृहों की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। वर्ष 2010–11 में अब तक

लगभग 4 लाख 20 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी है, वहीं आगामी वर्ष में लगभग 7 लाख 57 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

- मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। जहाँ 2010–11 में अब तक लगभग 1 लाख 52 हजार छात्रवृत्ति प्रदान की गयी, वहीं आगामी वर्ष में 2 लाख 16 हजार छात्रवृत्तियाँ दिए जाने का लक्ष्य है।
- हज हाऊस का निर्माण, हज समिति को अनुदान, मुस्लिम एजुकेशन मिशन, अरबी–फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण व मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजनाओं आदि हेतु वर्ष 2011–12 में लगभग ` 27.25 करोड़ धनराशि का प्राविधान है। समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2011–12 में लगभग ` 512.83 करोड़ का प्राविधान है।

14— सैनिक कल्याण :

- उत्तराखण्ड सैनिक बहुल प्रदेश है। मुझे इस बात का फख है कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक परिवार से औसतन एक व्यक्ति सेना में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं तथा परिवारजनों के प्रति अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। हम प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति का उपयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं। शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं युद्ध में अपंग सेवामुक्त सैनिकों को देय आवासीय सहायता राशि ` 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है।
- वीरता पुरस्कारों की धनराशि में कई गुना वृद्धि कर दी गयी है।
- उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को योग्यतानुसार सेवायोजित किया जा रहा है।

- प्रदेश में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय तथा सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में 'टोल-फ्री टेलीफोन' की व्यवस्था की गयी है।
- जय जवान आवास योजना के तहत आवासीय भवनों हेतु देहरादून में 16.42 एकड़, कोटद्वार में 5 एकड़ व हल्द्वानी में 3 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। पूर्व सैनिकों को इको टास्क फोर्स से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उनके अनुभवों का लाभ राज्य को मिलने के साथ उन्हें सम्मानजनक रोजगार से भी जोड़ा जा सके।
- पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' की सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। विगत चार वर्षों में 9 हजार 500 पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।
सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2011–12 में ' 29.07 करोड़ की व्यवस्था है।

15— महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

- उत्तराखण्ड राज्य में जैन्डर बजट की अवधारणा को साकार किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में आई0सी0डी0एस0 का सार्वभौमिकीकरण किया गया है। राज्य में जल्दी ही 'बाल संरक्षण आयोग' का गठन किया जायेगा। जीवन कौशल, वोकेशनल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से किशोरी बालाओं के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने हेतु 'सबला योजना' चार जनपदों क्रमशः हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी एवं नैनीताल में संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की दो लाख किशोरियाँ चिन्हित की गई हैं।
- 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए 'टेक होम राशन' की व्यवस्था की गई है।
- महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य मिशन प्राधिकरण' का गठन किया गया है। पोषण कार्ययोजना के अनुश्रवण हेतु

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य पोषण परिषद्' तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अन्तर्भिर्भागीय समन्वय समिति गठित है। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलम्बी बनाने तथा उत्तराखण्ड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने के लिए उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत 'आदिभोग योजना' प्रारम्भ की गई है।

- जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी' एवं 'दहेज प्रतिषेध अधिकारी' नामित किया गया है।
- लैंगिक विषमता दूर करने एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 'नन्दा देवी कन्या धन योजना' शुरू की है, जिसके अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों में जन्मी प्रथम दो कन्या शिशुओं के लिए प्रदत्त पांच हजार की धनराशि को आगामी वर्ष में बढ़ाकर ` 7500 किया जायेगा।
- निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 'गौरा देवी कन्या धन योजना'

के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार की बालिकाओं को इण्टर पास करने के पश्चात् 25 हजार की धनराशि प्रदान की जा रही है।

- दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा चारा बैंक की सुविधा प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2011–12 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु 326.25 करोड़ का प्राविधान है।

16— जलागम :

- प्राकृतिक संसाधनों यानि भूमि, जल एवं वनस्पति का संवर्द्धन, संरक्षण तथा सुनियोजित प्रबन्धन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जलागम प्रबन्धन योजनाएं सामुदायिक सहयोग से चलाई जा रही हैं।
- राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जलागम योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे खुशी है कि विश्व बैंक के ताजा आंकलन में उत्तराखण्ड की जलागम परियोजनाओं को 'अति संतोषजनक'

स्थान दिया गया है, जो हमारी सराहनीय उपलब्धि है।

- 'ग्राम्य' की अपार सफलता के मद्देनजर ' 850 करोड़ के ग्राम्य फेज-2 के हमारे प्रस्ताव को संस्तुति प्राप्त हो गयी है।
- एकीकृत जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत ' 245 करोड़ की धनराशि के उपयोग हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर इकाईयों का गठन कर दिया गया है।
वर्ष 2011–12 में जलागम सम्बंधी कार्यों के लिए ' 100.35 करोड़ का प्राविधान है।

17— वन एवं पर्यावरण :

- राज्य में 65 प्रतिशत वन भूमि है। मुझे बेहद खुशी है कि राज्य के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए 12 हजार वन पंचायतें कार्यरत हैं। राज्यवासियों ने सदियों से वनों को अपने बच्चों की तरह पाला है। मुझे गर्व है कि हमने अपने हितों की कुर्बानी देकर

भी वनों को बचाया है। यही कारण है कि योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण में की गई राजकीय स्तर की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान दिया है।

- उत्तराखण्ड में वनों के सुदृढ़ीकरण के लिए 9 सितम्बर को वन पंचायत दिवस घोषित किया गया है। विजन 2020 के अन्तर्गत सरकार ग्राम सभाओं में 'ग्राम वन' विकसित करने, विद्यालयों में विद्यार्थी वाटिकाओं की स्थापना के अलावा नष्ट हो रहे वनों को बचाने व वन्य जन्तु एवं मानव संघर्ष को कम करने के लिए भी प्रयासरत है। इसके साथ ही सूख रहे जलस्रोतों को रिचार्ज करने तथा वनों से आम आदमी को जोड़ने का भी हमने बीड़ा उठाया है। 'मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड हरित विकास योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है। 'नक्षत्र वाटिका' एवं 'नवग्रह वाटिकाओं' की स्थापना सहित 'हर्बल गार्डनों' की स्थापना की जा रही है।

- महिलाओं की वानिकी में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। कैम्पा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 'उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी' का गठन किया गया है।
- मुझे प्रसन्नता है कि राज्य की 14 अनुपम पहल योजनाओं में 'मुख्यमंत्री हरित विकास योजना', 'जड़ी बूटी विकास योजना' तथा 'वन पंचायत सुदृढ़ीकरण' योजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में बढ़ावा देने के लिए राज्य के 3 माध्यमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष एक लाख की धनराशि का 'तरुश्री' सम्मान प्रदान किया जायेगा।
- चीड़ से प्राप्त होने वाला 'पिरुल', जो अभी तक पर्यावरण की दृष्टि से घातक समझा जाता रहा है, उसका जनहित में व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया गया है। इसका ईंधन हेतु ब्रिकेट, बिजली व गैसीफायर में उपयोग किया जा रहा है। मूलभूत

आवश्यकताओं की पूर्ति एवं जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने हेतु बांस एवं रेशा प्रजातियों को हम नये उद्यमों से जोड़ रहे हैं। उत्तराखण्ड की जैव विविधता एवं नैसर्गिक सुन्दरता में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वनों को हमने ईको-टूरिज्म से जोड़ दिया है।

- हमने कार्बट राष्ट्रीय पार्क के लिए कार्बट टाइगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन का गठन कर दिया है।
- विश्व स्तर पर चर्चित विषय जलवायु परिवर्तन से आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल, 2011 में जलवायु परिवर्तन पर हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी का अवसर भी हमारे राज्य को ही मिला है।
- हिमनदों पर व्यक्त की गई विषय विशेषज्ञों की गम्भीर चिन्ताओं को समझते हुए हमारी सरकार ने 'हिमनद प्राधिकरण' का गठन किया गया है। इसके

अन्तर्गत प्रदेश में हिमनदों का मानचित्रीकरण कर सूचीबद्ध किया जा रहा है।

- हम देवभूमि के लोगों का सौभाग्य है कि यह क्षेत्र पतितपावनी गंगा का मायका है। गंगा हमारी राष्ट्रीय धरोहर ही नहीं, हमारी आस्था का प्राण भी है। अतः इसके संरक्षण की पहली जिम्मेदारी भी हमारी ही है। गंगा की अविरलता एवं स्वच्छता को बनाए रखने तथा इसके प्रति जनमानस के कर्तव्य बोध को जागृत करने के लिए हमने 'स्पर्श गंगा अभियान' प्रारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत 'स्पर्श गंगा बोर्ड' का गठन कर दिया गया है। निर्मल नीर की यह पीर राज्य की अन्य सभी नदियों एवं गाड़—गधेरों की भी है। अतः स्पर्श गंगा अभियान से उनको भी जोड़ा गया है।
- कैम्पा के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 160 करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर काम किया जायेगा। कैम्पा के तहत किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त वन

विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए ` 332.78 करोड़ का प्राविधान है।

18— कृषि :

- उत्तराखण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का मात्र 14 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य है। विजन 2020 के तहत हमने इस सीमित कृषि भूमि में अधिकाधिक उत्पादकता का बीड़ा उठाया है। खाद्यान्न के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में हम दलहनी एवं तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की जैविक कृषि स्वरूप के साथ—साथ स्थानीय व परम्परागत बीजों की धरोहर को और समृद्ध कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में होने वाले नवीन वैज्ञानिक शोधों का लाभ हम आम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को निवेश तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी न्याय पंचायतों के मुख्यालय पर 'कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र' खोले गये हैं। साथ ही हर साल खरीफ तथा रबी में कृषक महोत्सव आयोजित

किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा कृषि विकास के सम्बन्ध में किए प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन एवं उत्पादकता में अपेक्षित सुधार हुआ है।

- प्रदेश में कृषि विकास को नयी राह देते हुए 245 ग्रामों में 'मुख्यमंत्री बीज ग्राम योजना' की शुरुआत की गयी है। यह उल्लेखनीय है कि 'अटल खाद्यान्न योजना' का एक सकारात्मक पक्ष यह भी उभरकर सामने आया है कि इससे हमारे परम्परागत बीज, जो कि गुणवत्ता की दृष्टि से विकास खण्ड स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, का इस योजना से विकास एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- प्रदेश में 30 अटल आदर्श गाँवों में कृषि निवेश केन्द्र के भवन निर्मित किए जाने की योजना है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित कृषक सूचना एवं परामर्श केन्द्र को कम्प्यूटरीकृत करके उन्हें ब्रॉडबैण्ड से जोड़ा जायेगा।
कृषि क्षेत्र हेतु वर्ष 2011–12 में 272.59 करोड़ का प्राविधान है।

19— गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :

- सरकार गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में भी प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने गन्ना कृषकों के हित को ध्यान में रखकर देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य घोषित किया है। सरकार चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने एवं उन्हें स्व-सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
- नयी—पहल के रूप में बाजपुर चीनी मिल में 1 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का इथेनॉल प्लाण्ट स्थापित किया जायेगा।
- चीनी मिलों में सह—विद्युत परियोजनाओं को लोक निजी सहभागिता में स्थापित किया जायेगा।
गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग सम्बन्धी कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में ` 12.11 करोड़ प्राविधानित हैं।

20— उद्यान एवं जड़ी बूटी विकास :

- हमारी औद्यानिकी व दुर्लभ जड़ी—बूटियां हमें देश—दुनिया में नई पहचान दे सकती हैं। इसी को

ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न औद्यानिक फसलों, बेमौसमी सब्जियों, फलों के उत्पादन सहित आलू बीज एवं सब्जियों की पौध व बीज उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही हम जड़ी-बूटी के कृषिकरण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मौनपालन, चाय विकास तथा रेशम विकास को नये आयाम दे रहे हैं। राज्य में सेब, आम, लीची, अदरक, आलू, टमाटर आदि फसलों के लिए बीमा योजना लागू की गई है। जड़ी-बूटी उत्पादन के साथ-साथ हम इसके प्रसंस्करण व विपणन की प्रभावी पहल कर रहे हैं।

- उद्यान विकास के क्षेत्र में नयी पहल में १ 200 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में उद्यान, रेशम तथा जड़ी-बूटी आदि कार्यक्रमों हेतु १ 104.20 करोड़ का प्राविधान है।

21— पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

- पशुपालन आदिकाल से ही हमारी आर्थिकी का प्रमुख आधार रहा है। हमने इस परम्परागत थाती को पुनः अपनी आजीविका एवं रोजगार से जोड़ने की पहल की है। अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत न्याय पंचायतों में पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना से पशुपालकों को उनके द्वार पर पशुपालन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- प्रदेश के अधिकांश भाग में चारे की कमी है, अतः विकास खण्ड स्तर पर चारा बैंक स्थापित किये जा रहे हैं।
- दुग्ध सहकारी समितियों तथा दुग्ध संघों को नवीन परिस्थितियों के अनुसार सुदृढ़ किया जा रहा है। दूध एवं दुग्ध पदार्थों के विविधीकरण तथा मूल्य संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण देश में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत गोवंशीय पशुओं पर बर्बरता को रोकने, गोवंशीय पशुओं के विकास एवं कल्याण के लिए 'गो सेवा—आयोग' एवं गो वंश

से संबंधित शोध हेतु गो-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक (ऋषिकेश) में प्रारम्भ किया जा रहा है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहाँ 'गो-अर्क' के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए उसे विपणन कर से मुक्त किया गया है। मत्स्य पालन को भी हम उद्यम का मुख्य आधार बना रहे हैं।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु वर्ष 2011–12 में 116.14 करोड़ का प्राविधान है।

22—सहकारिता विभाग :

- राज्य में सामुदायिक उद्यमिता की भावनाओं को विकसित करने के लिए सहकारिता को एक जनान्दोलन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण वितरण सहित खाद, बीज वितरण, कीटनाशक रसायन तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति

उचित दरों पर उपलब्ध करायी जायेगी। जहां इस वर्ष सभी अटल आदर्श गांवों में 670 अटल मिनी बैंक की स्थापना की गई है, वहीं आगामी वर्ष में न्याय पंचायत मुख्यालय के अतिरिक्त सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में 'अटल मिनी बैंक' स्थापित किये जायेंगे।

सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2011–12 में ` 43.72 करोड़ का प्राविधान है।

23—चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

- हमारी सरकार ने सबकी पीड़ा हरने का बीड़ा उठाया है। सबके लिए स्वास्थ्य के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विजन 2020 में हमने दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। हमारी जीवनदायिनी 108

आपातकालीन सेवा इस प्रतिबद्धता को मूर्त रूप दे रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यह सेवा राज्य के लिए वरदान साबित हुई है तथा 108 सेवा ने विगत दो-ढाई वर्षों में 1 लाख 82 हजार मां-बच्चों का जीवन बचाने के साथ-साथ लगभग 32 हजार लोगों के जीवन को विभिन्न दुर्घटनाओं में बचाया है। विपरीत परिस्थितियों में 2300 से अधिक बच्चों का जन्म चलती हुई एम्बुलेन्स में होना एक विश्व कीर्तिमान है।

- हमारी 108 सेवा अभी तक निकटस्थ अस्पताल में पहुँचाने की व्यवस्था कर रही है। अब जच्छा-बच्छा को अस्पताल से घर पहुँचाने की भी सुविधा प्रदान की जायेगी।
- सरकार अति आधुनिक उपकरणों युक्त सचल चिकित्सालय प्रत्येक जनपद में संचालित कर रही है। इसे और आगे बढ़ाते हुए बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, पं० दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में कार्डियोलॉजी

केन्द्र, संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार तथा जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में डॉयगनोस्टिक केन्द्र की स्थापना की जा रही है। रोगियों के तीमारदारों को रात्रि विश्राम की सुविधा दिल्ली के बाद अब हम राज्य के शीर्ष चिकित्सालयों में भी देने जा रहे हैं।

- जीवनदायिनी 108 आपात सेवा की असीम लोकप्रियता के बाद अब सरकार 104 निःशुल्क परामर्शी सेवा प्रारम्भ कर रही है। इस सेवा के अन्तर्गत चिकित्सकीय आवश्यकताओं के लिए कहीं से भी दूरभाष के माध्यम से परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा। सरकार आपातकालीन सेवाओं के अन्तर्गत जल एवं हवाई एम्बुलेंस सुविधा भी शुरू करने जा रही है। इस प्रकार उत्तराखण्ड जल, थल तथा वायु आपातसेवा को प्रदान करने वाला प्रथम राज्य होगा।
- राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में पत्रकारों को भी चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के समस्त

जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों के जनपदों के चिकित्सालयों को लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित करना प्रस्तावित है, ताकि इन क्षेत्रों में चिकित्सकीय एवं पराचिकित्सकीय मानव संसाधन की कमी तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दूर किया जा सके। राज्य में सभी जनपदों में एच0आई0वी0/एड्स रोगियों के उपचार हेतु व्यवस्था उपलब्ध है। रैफरल लैबोरेटरी नैटवर्किंग के अन्तर्गत राज्य में तीन मेडिकल कॉलेजों क्रमशः जौलीग्रान्ट (देहरादून), हल्द्वानी(नैनीताल) तथा श्रीनगर (पौड़ी) में अब जाँच के सैम्प्ल भेजे जा सकेंगे। 'राज्य रक्त संचरण परिषद्' का गठन किया जा रहा है।

- सरकार आयुष के विकास हेतु प्रयासरत है। राज्य में आयुर्वेदिक नर्सेस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। शीघ्र ही नव स्थापित आयुर्वेद विश्वविद्यालय का भवन निर्माण किया जायेगा। राज्य

औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हरिद्वार का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आयुर्वेद की जन्म-स्थली उत्तराखण्ड राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान की स्थापना भी जल्दी ही की जायेगी। प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का उच्चीकरण किया जायेगा।

- स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु भगवानपुर-हरिद्वार में यूनानी मेडिकल कॉलेज तथा श्रीनगर-पौड़ी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।

वर्ष 2011–12 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग के लिए लगभग ₹ 823.34 करोड़ का प्राविधान है।

24—चिकित्सा शिक्षा :

- राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सरकार विशेष प्रयास कर रही है। मात्र 15 हजार वार्षिक फीस पर हम एम0बी0बी0एस0 डिग्री दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर किया जायेगा। देहरादून में मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी। रुद्रपुर अस्पताल की सभी अवस्थाओं का विकास किया जायेगा। देहरादून में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के बाद अब पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी एवं पिथौरागढ़ में नर्सिंग कालेजों की स्थापना की जा रही है। हल्द्वानी मेडिकल कालेज में राज्य के प्रथम राजकीय पैरा—मेडिकल संस्थान की स्थापना प्रगति पर है। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु बैचलर ऑफ रुरल मेडिसन एवं सर्जरी पाठ्यक्रम भी उत्तराखण्ड में प्रारम्भ किये जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा कार्यों के समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय के अन्तर्गत पृथक चिकित्सा शिक्षा इकाई का गठन किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2011–12 में 149.70 करोड़ का प्राविधान है।

25—विद्यालयी शिक्षा :

- हमारा राज्य शिक्षा के सर्वोत्तम हब के रूप में आकार ले रहा है। उत्तराखण्ड में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें विकसित की हैं, जो देश के अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में लोकप्रिय हुई हैं। उत्तराखण्ड देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिसने विद्यालयी शिक्षा में योग, आयुर्वेद, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार व उद्यमिता विकास को शामिल किया है।
- प्रदेश सरकार ने विजन 2020 के अन्तर्गत शत प्रतिशत साक्षरता एवं अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया है। राज्य में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। देवभूमि मुस्कान योजना, पहल कार्यक्रम, सपनों की उड़ान, तेजस्वी

योजना, गौरादेवी कन्या धन योजना को लागू किया गया है। विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं वैज्ञानिक जागरुकता तथा दृष्टिकोण विकसित किये जाने हेतु समस्त राजकीय इण्टर कॉलेजों में विज्ञान क्लबों की स्थापना की गई है। इसी क्रम में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण भी किया जायेगा।

- माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 44 जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण किया जा चुका है तथा 32 हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया गया है। अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जहाँ हाई स्कूल स्तर की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, उनमें से 06 विद्यालयों में इसकी स्थापना की जा चुकी है, शेष 18 विद्यालयों हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- राज्य में उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा संस्कृत शिक्षा परिषद् से कक्षा 12वीं तथा उत्तर

मध्यमा कक्षाओं में 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहनस्वरूप एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।

- माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए राज्य स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानकों में आते हैं, का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया जायेगा। आगामी वर्षों में 2 नए कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, चक्रराता—त्यूनी (देहरादून) एवं खानपुर (हरिद्वार) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टर कॉलेजों के भवनहीन तथा जीर्ण—शीर्ण भवनों का निर्माण किया जायेगा। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों को लोक निजी सहभागिता के आधार पर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग के लिए उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद से एक

विद्यालय तथा प्रत्येक मण्डल में एक-एक बालिका विद्यालय कुल 15 विद्यालयों का चयन किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना की जायेगी एवं पिछड़े विकास खण्डों में बालिका छात्रावास संचालित किये जायेंगे। वर्ष 2011–12 में विद्यालयी शिक्षा हेतु लगभग ` 3109.64 करोड़ का प्राविधान है जो कुल अनुमानित व्यय का 16.06 प्रतिशत है।

26—उच्च शिक्षा :

- प्रदेश सरकार द्वारा स्नातक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के सहयोग से प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तथा गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हें 'एडुसेट' से जोड़ा जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण की सुविधा प्रदेश

के 25 महाविद्यालयों में कर दी गयी है। आगामी वर्षों में शेष 45 महाविद्यालयों को भी इस आधुनिक सुविधा से जोड़ा जायेगा।

- प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा, जिसमें 25 प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की जायेंगी तथा उनके लिए फीस में 25 प्रतिशत छूट की भी व्यवस्था की जायेगी। इन विश्वविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रोजगार स्थानीय लोगों को ही दिये जायेंगे।
- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से सर्वसुलभ उच्च शिक्षा सहित उत्तराखण्ड की भाषा एवं बोली के उन्नयन के प्रयास किये जा रहे हैं। उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2011–12 में 323.51 करोड़ का प्राविधान है।

27—तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण :

- वर्तमान वैश्विक युग में तकनीकी शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार युवाओं में तकनीकी कौशल के उन्नयन एवं युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार उद्योगों एवं राज्य के विकास हेतु प्रशिक्षित एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त मानवशक्ति विकसित करने हेतु प्रयासरत है। वर्तमान में 38 राजकीय पॉलिटैक्निक, 01 शासकीय सहायता प्राप्त तथा 25 निजी क्षेत्रों के पॉलिटैक्निक संचालित हैं। पॉलीटैक्निकों में प्रवेश हेतु विकेन्द्रीकृत कम्प्यूटर आधारित कॉउन्सिलिंग आयोजित करने से अभ्यर्थियों को पर्याप्त सुविधा हुई है। राजकीय पॉलिटैक्निक में महिला छात्रावासों के निर्माण को त्वरित गति से किया जा रहा है। महिलाओं की विकास में भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देहरादून में सुद्धोवाला पॉलिटैक्निक को

महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया जायेगा। यह प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा।

- २ करोड़ की लागत से प्रत्येक राजकीय पॉलिटैक्निक का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- सुमाझी, श्रीनगर में लगभग ५०० करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एनआईटी०) स्थापित किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में आगामी वित्तीय वर्ष में २०० करोड़ से अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेंगी। फिलहाल राजकीय पॉलिटैक्निक, श्रीनगर कैम्पस से संस्थान का शिक्षण प्रारम्भ किया गया है। इस संस्थान में ५० प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं।
- काशीपुर में आई०आई०एम० हेतु भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। कुल लगभग ७०० करोड़ की लागत से बनने वाले इस संस्थान में २५० करोड़ की धनराशि से प्रथम चरण में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया

जायेगा। आगामी सत्र से आई0आई0एम0 की कक्षाओं का विधिवत् संचालन किया जायेगा।

- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटित की गई है तथा १२२ करोड़ की लागत से निर्माण कार्य गतिमान है।
- सरकार ने प्रशिक्षण विभाग को तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ा है ताकि इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके। राजकीय आई0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण एवं उनके भवन निर्माण हेतु प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' पदों हेतु चयन संस्था बनाया गया है।
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में १२९.५४ करोड़ का प्राविधान है।

28— भाषा :

- देवभूमि उत्तराखण्ड में देववाणी संस्कृत को पुनः प्रतिष्ठित करने की दिशा में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा

संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तराखण्ड में आदिकाल से संस्कृत जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन रही है। इस दिशा में संस्कृत को नवीन रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आम जन में संस्कृत भाषा की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त सरकारी कार्यालयों की नाम पट्टिका हिन्दी भाषा के साथ संस्कृत में भी अंकित की जायेगी। राज्य के प्रमुख धर्म नगरी ऋषिकेश एवं हरिद्वार को संस्कृत नगरी घोषित किया गया है।

- उत्तराखण्ड की महान विभूति, हिन्दी साहित्य में प्रथम डी० लिट उपाधि से सम्मानित डा० पीताम्बर दत्त बड्थ्याल को यथोचित सम्मान देते हुए हमने उनके नाम पर ही हिन्दी अकादमी का नामकरण किया है। साथ ही गढ़वाली, कुमाऊँनी तथा जौनसारी बोलियों को भाषा का दर्जा दिये जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 के अधीन

संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

29—संस्कृति :

- सरकार राज्य के ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण—संवर्द्धन हेतु प्रयासरत है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जहाँ लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि को सहेजा जा रहा है, वहीं पुरातात्त्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण एवं अनुरक्षण के साथ—साथ प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ को संग्रहित किया जा रहा है।
- भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक बृहद् योजना 'भारत दर्शन' नाम से लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) के माध्यम से लागू की जायेगी।
- राज्य में 20 करोड़ की लागत से हिमालय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसमें

उत्तराखण्ड की यत्र-तत्र बिखरी सांस्कृतिक धरोहरों को एक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

- देहरादून रिथत पुरानी जेल के नेहरु वार्ड को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। पौड़ी की पुरानी जेल भवन एवं परिसर को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का विचार है। देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, उत्तरकाशी एवं ऊधमसिंह नगर में प्रेक्षागृहों का निर्माण प्रगति पर है।
- प्रदेश की विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 'गुरु-शिष्य परम्परा' के अन्तर्गत 6 जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- राज्य में लोक संस्कृति संस्थान की स्थापना की जाएगी।
संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में 32.01 करोड़ का प्राविधान है।

30—संस्कृत शिक्षा :

- यह हमारे लिए गौरव की बात है कि सरकार ने देववाणी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। राज्य के दोनों मण्डलों में एक-एक संस्कृत नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। संस्कृत शिक्षा परिषद् के गठन का निर्णय ले लिया गया है। संस्कृत शिक्षा हेतु वर्ष 2011–12 में 3.64 करोड़ का प्राविधान है।

31—खेल एवं युवा कल्याण :

- राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में प्रथम शीतकालीन सैफ गेम्स का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
- बालिकाओं की खेलों में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में समुचित व्यवस्था की जायेगी। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलों, युवा महोत्सव, मिनी स्टेडियम निर्माण, युवा पुरस्कार, युवा सेमीनार आदि विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से युवा शक्ति का सदुपयोग किया जा रहा है।

- टिहरी झील को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रीड़ा का बृहद केन्द्र स्थापित किया जाएगा तथा औली को शीतकालीन क्रीड़ा का अन्तर्राष्ट्रीय स्थल बनाया जायेगा।
खेल एवं युवा कल्याण हेतु वर्ष 2011–12 में ` 40.20 करोड़ का प्राविधान है।

32—सूचना एवं लोक सम्पर्क :

- सरकार की नीतियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सरकार तथा जनता के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मेरी सरकार पत्रकारों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार—प्रसार करने हेतु दूरदर्शन के माध्यम से साप्ताहिक न्यूज मैगजीन प्रसारित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को अन्य माध्यमों से भी व्यापक प्रचार—प्रसार किया जा रहा है।

- उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक परम्पराओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन करने तथा विभिन्न विषयों पर जन—जागरूकता के प्रसार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- देहरादून में पत्रकारों के लिए पत्रकार कॉलोनी का विकास किया जायेगा। पत्रकार कल्याण कोष में आगामी वर्ष में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में 25.09 करोड़ का प्राविधान है।

33—गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

- उत्तराखण्ड राज्य उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमाओं के साथ—साथ नेपाल एवं चीन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। साथ ही वन एवं वन्य जीव सम्पदा, पर्यटन तथा तीर्थाटन की दृष्टि से राज्य पर गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा की विशेष चुनौतियाँ हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश के बड़े क्षेत्र में राजस्व पुलिस एवं शेष क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था है। उत्तराखण्ड पुलिस का मिशन जनता की सहभागिता से विधि सम्मत व्यवस्था स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम एवं शान्ति व्यवस्था बनाना है।
- राज्य में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र

ही पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्र नगर (ठिहरी गढ़वाल) प्रारम्भ हो जायेगा। आंतकवादी घटनाओं के सम्बन्ध में प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाई के लिए पी0ए0सी0 हरिद्वार तथा आई0आर0बी0 रामनगर में कमाण्डो दस्ते गठित किये गये हैं। राज्य में आंतकवादी निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) का भी गठन किया गया है। पुलिस संचार व्यवस्था हेतु अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किये गये हैं।

- होमगार्ड्स विभाग पुलिस विभाग को सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, आपातकालीन समय में सहयोग करता है। प्रदेश के प्रमुख नगरों में शान्ति व्यवस्था, गोपनीय सूचनाओं एवं आपदाओं के समय नागरिक सुरक्षा विभाग भी प्रशासन का सहयोग कर रहा है।
- राज्य में कारागार विभाग के अन्तर्गत 06 जिला कारागार, 02 उपकारागार एवं एक खुली जेल संचालित हैं। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़,

उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर एवं चम्पावत में जिला कारागार का निर्माण कराया जायेगा।

वर्ष 2011–12 में पुलिस विभाग हेतु ६८७.८३ करोड़, होमगार्ड्स विभाग हेतु १९.५३ करोड़ एवं कारागार विभाग हेतु ३१.४५ करोड़ का प्राविधान है।

34—राजस्व :

- मान्यवर, मुझे यह बताने में अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि राज्य के सभी जनपदों में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कलकट्टे स्तर पर तथा द्वितीय चरण में तहसील स्तर पर भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए नेशनल लैण्ड रिकार्ड्स मार्डनाईजेशन मैनेजमेन्ट प्रोग्राम (एन०एल०आर०एम०पी०) के अन्तर्गत भूमि का पंजीकरण, दाखिल-खारिज एवं भूमि के मानचित्र को कम्प्यूटर नेटवर्क में लाने की व्यवस्था की जायेगी।

- राज्य में पटवारी चौकियों, तहसील भवनों तथा कलेक्ट्रेट भवनों के निर्माण की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में
` 123.45 करोड़ का प्राविधान है।

35—आपदा प्रबन्धन :

- यह सर्वविदित है कि हमारा राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। गतवर्ष हुई अभूतपूर्व अतिवृष्टि से प्रदेश के सभी नागरिकों को जूझना पड़ा है। इस आपदा से जन—धन की अपार क्षति ही नहीं हुई बल्कि इसने हमें आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत भी किया। सरकार के प्रयासों तथा आम जनता के सहयोग से हम इस विपदा से उबरने में कामयाब रहे, तथापि आपदा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति में अभी काफी समय लगेगा।

- प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की दृष्टि से आम जनता को जागरूक करने के लिए एक कारगर योजना बनायी गयी है।
- राज्य में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- प्रत्येक अटल आदर्श गांव में 'आपदा खोज एवं बचाव दल' का गठन किया जाएगा।
आपदा प्रबन्धन हेतु वर्ष 2011–12 हेतु 633.47 करोड़ का प्राविधान है।

36—पंचायतीराज :

- पंचायती राज की दिशा में कारगर पहल करते हुए हमने गांवों से विकास की शुरूआत की है। न्याय पंचायत स्तर पर ही सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अटल मिनी सचिवालयों की स्थापना की जाएगी।

- अटल आदर्श गांवों को मुख्य केन्द्र बनाकर उसके आस—पास के सभी गांवों का समेकित विकास किया जायेगा।
- पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पंचायतों को नियमित अनुदान तथा पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता अविवर्द्धन हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत 74.35 करोड़ का प्राविधान है।

37—ग्राम्य विकास विभाग :

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। इस हेतु स्वरोजगार के क्षेत्र में आर्थिक उन्नयन एवं श्रमपरक कार्यक्रमों के साथ आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, ग्रामीण संयोजकता अन्तर्गत सड़क मार्गों के निर्माण

की योजना सहित विभिन्न समेकित विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

- मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 250 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना अन्तर्गत लगभग 5000 ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों के शिल्पकारों को चरणबद्ध प्रक्रिया से कौशल वृद्धि प्रशिक्षण देकर आजीविका संवर्द्धन क्षेत्र में पहल की जा रही है। उत्तराखण्ड आजीविका परियोजना के माध्यम से स्वरोजगार के क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन कर विपणन की सुविधा प्रदान करते हुए आर्थिक उन्नयन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तराखण्ड दीन दयाल आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में लगभग 20 हजार आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

ग्राम्य विकास विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में 551.82 करोड़ का प्राविधान है।

38—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का लाभ प्रत्येक क्षेत्र में लेते हुए प्रदेश तथा जनता के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। राज्य में प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, हिमनद, जलवायु परिवर्तन, सुदूर शिक्षा, सुदूर चिकित्सा आदि क्षेत्रों में नवीन वैज्ञानिक कार्य किये जा रहे हैं। आम आदमी के कल्याण के लिये कार्य कर रही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को गतिशील करने, उनमें आपसी समन्वय तथा समझदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में देहरादून में विज्ञान धाम की स्थापना की जा रही है।

39—सूचना प्रौद्योगिकी :

- आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, अतः सूचना प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में उपयोग करना

अपरिहार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य कुशलता, सटीकता एवं त्वरित क्रियान्वयन सहित जनता के द्वार तक सूचना प्राप्ति सम्भव हो सकी है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी को जन-जन तक सुलभ करने के लिए प्रयासरत है।

- प्रदेश में स्टेट डाटा सेन्टर तथा स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना की जायेगी।
- हम आगामी वर्ष में सभी ब्लॉक तथा तहसीलों को वीडियो कांफ्रैंसिंग से जोड़ने की दिशा में अग्रसर हैं। इसके अतिरिक्त यू0आई0डी0 योजना भी शुरू करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। वर्ष 2011–12 में विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों हेतु 36.23 करोड़ का प्राविधान है।

40—पर्यटन :

- भौगोलिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं।

- विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से उत्तराखण्ड के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसके क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में सुनियोजित, दीर्घकालीन व सतत् पर्यटन का विकास करते हुए इसे 'धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड' के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है।
- उत्तराखण्ड को विश्व पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से साहसिक पर्यटन, ईको-टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं, जिसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। पर्यटन के क्षेत्र में पूँजी निवेश हेतु लोक निजी सहभागिता के आधार पर ढाँचागत सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा पर्यटन विकास की दिशा में शीतकालीन पर्यटन की भी शुरूआत की गई है, जिसके अन्तर्गत जोशीमठ, ऊखीमठ, मुखवा और खरसाली तीर्थ

स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन सर्किटों के विकास एवं चार धाम यात्रा मार्गों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

- कुम्भ की तर्ज पर आगामी 'नन्दा देवी राजजात' का आयोजन किया जायेगा। पर्यटन विकास को नया आयाम देते हुए ५० करोड़ की लागत से मेगा गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।
- पूर्णागिरी, जानकी चट्टी-यमुनोत्री एवं देहरादून-मसूरी में रज्जू मार्गों का निर्माण किया जायेगा।
- कुमाऊँ एवं गढ़वाल में तीन-तीन पर्यटन सर्किट तथा २ पर्यटक स्थल विकसित किए जायेंगे।
पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्ष 2011-12 में १०७.५७ करोड़ का प्राविधान है।

41—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

- राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। सरकार ने महंगाई से ब्रस्त जनता को राहत पहुंचाते हुए बी०पी०एल० के साथ ही ए०पी०एल० परिवारों के लिए 'अटल खाद्यान योजना' प्रारम्भ की है। इसके अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार को 02 ' कि०ग्रा० गेहूं एवं 03 ' कि०ग्रा० चावल तथा ' 1 लाख 80 हजार वार्षिक आय से कम आय वाले ए०पी०एल० परिवारों को 04 ' प्रति कि०ग्रा० गेहूं एवं 06 ' कि०ग्रा० चावल दिया जा रहा है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में दैवी आपदा की सम्भावनाओं को देखते हुए तीन माह का खाद्यान्न और मिट्टी तेल का कोटा एडवांस में उपलब्ध कराया जा रहा है। सुदूरवर्ती इलाकों में वितरण सुचारू रखने के लिए हर ब्लॉक मुख्यालयों में खाद्यान्नों के समुचित भण्डारण की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण को सुनिश्चित करने हेतु राशन वितरण प्रणाली का रोस्टर लागू किया

गया है। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु मूल्य समर्थन योजना चलाई जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रभावी प्रवर्तन किया जा रहा है। 'अटल आदर्श ग्राम योजना' के अन्तर्गत उचित दर की दुकान विहीन 35 न्याय पंचायत मुख्यालयों में दुकानें स्वीकृत की गई हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु वर्ष 2011–12 में 332.21 करोड़ की व्यवस्था है।

42—श्रम एवं सेवायोजन :

- राज्य सरकार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है। श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य सौहार्द बनाने के भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। श्रमिकों के कल्याण हेतु समुचित ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश

के नौजवानों को उनकी योग्यता अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ' 87.05 करोड़ का प्राविधान है।

43-नियोजन :

- राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु कुशल नियोजन जरूरी है। योजनाओं का नियमित मूल्यांकन, कार्यों का सत्यापन तथा गुणवत्ता नियोजन की प्रमुख निशानी है। सरकार इन बातों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए संसाधनों की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत लोक निजी सहभागिता के माध्यम से अधिकाधिक निवेश के लिए प्रयासरत है।
- विजन 2020 के अन्तर्गत दीर्घकालीन दृष्टि एवं सुस्पष्ट लक्ष्य रखकर विकास कार्य किये जा रहे हैं। समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास का समुचित लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

- हमारा संकल्प वर्ष 2020 तक उत्तराखण्ड को समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, सुसंस्कृत व हरित प्रदेश बनाने का है।

नियोजन विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में 54.32 करोड़ का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय-व्ययक अनुमानों के प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2011–12 में 18340.95 करोड़ की प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में 14634.99 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 3705.96 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2011–12 में राजस्व प्राप्तियाँ में कर राजस्व का अंश 7715.05 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2955.31 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय :

वर्ष 2011–12 में ऋणों के प्रतिदान पर 1638.73 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में 1812.03 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन—भत्तों आदि पर 5308.74 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग 361.51 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में 1414.95 करोड़ व्यय अनुमानित हैं।

वर्ष 2011–12 में कुल व्यय 19366.91 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में 14325.69 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा 5041.22 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में 6564.29 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा 12802.62 करोड़ आयोजनेतर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में 3180.85 करोड़ आयोजनागत पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार 3383.44

करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा ॑ 1657.78 करोड़ आयोजनेतर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2011–12 में अनुमानित घाटा ॑ 1025.96 करोड़ है।

लोक—लेखा से समायोजन :

वर्ष 2011–12 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ॑ 690 करोड़ लोक—लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2011–12 में आरम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम शेष ॑ 42.74 करोड़ धनात्मक होना अनुमानित है।

मान्यवर,

हम महान संविधान के मूल सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों के अन्तर्गत राज्य सरकार को एक लोक हितैषी संस्था के रूप में चलाए जाने को प्रतिबद्ध हैं, वहीं पारदर्शिता, दक्षता एवं

कार्यकुशलता के साथ समयबद्ध कार्य निष्पादन के लिए भी कठिबद्ध हैं। जनता की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार होने के नाते यह हमारा परम दायित्व है कि संसाधनों का कुशल एवं स्वधार्य आधार पर विदेहन किया जाय। मुझे हर्ष है कि हम इस दिशा में लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं हमने लोकधन की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ—साथ इसका सदुपयोग जनहित में करने का दायित्व भी कुशलतापूर्वक निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से सरकार इस गुरुत्तर दायित्व को आगे भी निर्वहन करने में सफल होगी।

आप सभी जानते हैं कि मैं मूलतः कवि हूँ। अपनी भावनाओं को अपनी कविता से ही विराम देने की इच्छा को नहीं रोक पा रहा हूँ अतः आपको मुखातिब अपनी कविता की कुछ लाईनें उद्घाटित कर रहा हूँ।

आशा की पलकें प्रगति पथ पर बिछाकर
कठिन राह में पग न पीछे हटाना,
हर बुराई कुचलकर बढ़ो तो सही
कोई मुश्किल नहीं आसमां को झुकाना।

मुझे उत्तराखण्डवासियों तथा कर्मचारियों पर गर्व है कि उन्होंने राज्य निर्माण में महती भूमिका निभाने के साथ—साथ इन दस वर्षों में राज्य को उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। मुझे उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है कि इस देवभूमि उत्तराखण्ड को धरती का स्वर्ग एवं देश का अग्रणी राज्य बनाने में सबका योगदान आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके सहयोग एवं परामर्श से यह बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है उसके लिए भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा एनोआईसी० के अधिकारियों एवं

कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से सम्भव हो सका है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2011–12 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

चैत्र 1, शक सम्वत् 1933

तदनुसार

22 मार्च, 2011